प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

प्रथम अपील क्रमांक 57 / 2005

अपीलकर्ता **किशोर जैन**

बनाम

प्रत्यर्थीगण **विश्वंभर सतनामी एवं अन्य**

आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अगली सुनवाई हेतु दिनांक 25-1-2010 को नियत किया जाए।

सही/-

(एन. के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

प्रथम अपील क्रमांक 57 / 2005

अपीलकर्ता **किशोर जैन**

बनाम

प्रत्यर्थीगण **विश्वंभर सतनामी एवं अन्य**

समक्ष : माननीय श्री एन. के. अग्रवाल, न्यायाधीश

उपस्थित :

श्री बी. पी. शर्मा, अधिवक्ता, अपीलकर्ता की ओर से।

श्री राजा शर्मा, अधिवक्ता, उत्तरवादी क्र. 1 की ओर से।

श्री जी. डी. वासवानी, शासकीय अधिवक्ता, प्रतिवादी क्र. 2 एवं 3 की ओर से।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आदेश

(दिनांक 25-1-2010)

1. यह अपील दिनांक 4-1-2005 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जो कि तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा व्यवहार वाद क्र. 3-अ/2003 में पारित किया गया था, जिसके द्वारा अपीलकर्ता/वादी का वाद आदेश 17 नियम 2 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निरस्त कर दिया गया।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी (जो कि वर्तमान अपीलकर्ता है) के अनुसार दिनांक 18-11-2004 को वादी के साक्षी न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे, परन्तु पूर्व तिथि पर पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण साक्ष्य नहीं लिया जा सका और मामले को उचित आदेश हेतु नियत किया गया। तत्पश्चात वाद को दिनांक 4-1-2005 को वादी साक्ष्य हेतु नियत किया गया। उस दिन वादी तथा उसके साक्षी अनुपस्थित थे; वादी के अधिवक्ता ने साक्षियों को प्रस्तुत करने हेतु अपराह्न 2.30 बजे तक का समय माँगा; इसी बीच प्रतिवादीगण में से एक द्वारा आदेश 14 नियम 5 व्य.प्र.स के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर वादी के अधिवक्ता की कोई आपत्ति न होने के उपरांत भी न्यायालय ने निरस्त कर दिया और प्रकरण को वादी के अधिवक्ता के अनुरोधानुसार 2.30 बजे नियत किया गया। उसी दिन जब 2.30 बजे मामला पुनः सुनवाई हेतु आया, वादी एवं उसके साक्षी अनुपस्थित थे; वादी के अधिवक्ता ने आदेश 17 नियम 1 व्य.प्र.स. के अंतर्गत साक्ष्य हेतु पुनः स्थगन का आवेदन दायर किया, जिसे न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया, और चूँकि उसी दिन वादी एवं उसके साक्षी अनुपस्थित थे, इसलिए न्यायालय ने वाद को आदेश 17 नियम 2 व्य.प्र.स. के अंतर्गत निरस्त कर दिया, जिसके विरुद्ध वर्तमान अपील दायर की गई है।

3. श्री राजा शर्मा, प्रतिवादी क्र. 1 के अधिवक्ता ने अपील की पोषणीयता पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई। उनके अनुसार, दिनांक 4-1-2005 को मामला वादी के साक्ष्य हेतु नियत था; न तो वादी और न ही उसके साक्षी उपस्थित थे, इसलिए न्यायालय ने वाद को आदेश 17 नियम 2 व्य.प्र.स. के अंतर्गत निरस्त कर दिया और ऐसा आदेश अपील योग्य नहीं है। इस स्थिति में वादी के लिए एकमात्र उपचार यह था कि वह आदेश 9 नियम 9 व्य.प्र.स. के अंतर्गत वाद के प्रत्यावर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत करे। इस हेतु उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय *रामा राव बनाम शांति बाई एवं अन्य* (ए आई आर 1977 एम पी 222) के अनुच्छेद 23 का उल्लेख किया।

"23. इन निष्कर्षों के परिणामस्वरूप, हमारे उत्तर, जिन प्रश्नों को हमारे समक्ष संदर्भित किया गया था, इस प्रकार हैं —

प्रश्न	उत्तर
(1) यदि जब वाद सुनवाई के लिए पुकारा जाता है, तब किसी पक्ष का अधिवक्ता उपस्थित होता है और स्थगन का अनुरोध करता है, परंतु जब स्थगन अस्वीकार कर दिया जाता है तो वह कहकर चला जाता है कि उसे आगे की कोई निर्देश नहीं है — क्या यह उस पक्ष की 'उपस्थिति' मानी जाएगी जिसका वह अधिवक्ता प्रतिनिधित्व करता है?	
(a) यदि अधिवक्ता ने केवल इस कारण स्थगन माँगा कि उसे अपने मुवक्किल से केवल स्थगन माँगने का ही निर्देश प्राप्त था, और यदि स्थगन अस्वीकार हो जाए तो मुकदमे की कार्यवाही आगे न बढ़ाने का?	यह उस पक्ष की उपस्थिति नहीं मानी जाएगी और आदेश 17 नियम 2 व्य.प्र.स. ही लागू होगा। तथापि, ऐसे मामले में अनुपस्थित पक्ष को अपनी अनुपस्थिति तथा अधिवक्ता को पूर्ण निर्देश न देने दोनों के लिए 'पर्याप्त कारण' दिखाना होगा।
(b) यदि अधिवक्ता स्वयं को तैयार करने की आवश्यकता महसूस करता है और अपने विवेक से स्थगन माँगता है?	यह भी उस पक्ष की उपस्थिति नहीं मानी जाएगी और आदेश 17 नियम 2 व्य.प्र.स. ही लागू होगा।
(2) यदि जब मामला सुनवाई के लिए पुकारा जाता है, अधिवक्ता (बिना पक्षकार की उपस्थिति के) केवल यह सूचित करने के लिए उपस्थित होता है कि उसे कोई निर्देश नहीं मिला है और वह उपस्थित नहीं रहेगा — तो क्या यह आदेश 9 नियम 8 या आदेश 17 नियम 2 व्य.प्र.स. के प्रयोजनार्थ अधिवक्ता की उपस्थिति मानी जाएगी?	यह पक्ष की उपस्थिति नहीं मानी जाएगी और आदेश 17 नियम 2 व्य.प्र.स. ही लागू होगा।
(3)क्या निम्न परिस्थितियों में वाद को आपसात किए जाने के लिए आदेश 9 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है?	
(a) वादी को कोई कार्य करने के लिए नहीं कहा गया था और जब वाद सुनवाई हेतु पुकारा गया, तब वह उपस्थित नहीं था	हाँ। आदेश 17 नियम 2 व्य.प्र.स. ही लागू होगा
(b)वादी को कोई कार्य करने हेतु कहा गया था, किंतु उसने वह नहीं किया, न ही वह सुनवाई के समय उपस्थित था।	हाँ। आदेश 17 नियम 2 व्य.प्र.स. ही लागू होगा।
(4) क्या निम्न परिस्थितियों में प्रतिवादी आदेश 9 नियम 13 व्य.प्र.स. के अंतर्गत एकपक्षीय डिक्री को आपस्त करने हेतु आवेदन	

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कर सकता है?	
(a) जब प्रतिवादी को कुछ करने हेतु नहीं कहा गया था और वह उपस्थित नहीं हुआ, और न्यायालय ने वादी के साक्ष्य लिए बिना या लिए हुए उपलब्ध अभिलेख के आधार पर वाद को निर्णीत कर दिया।	हाँ। आदेश 17 नियम 2 व्य.प्र.स. ही लागू होगा।
(b) जब प्रतिवादी को कुछ करने हेतु कहा गया था, किंतु उसने वह नहीं किया, न ही सुनवाई के समय उपस्थित हुआ, और न्यायालय ने वादी के मौजूदा अभिलेख के आधार पर बिना कोई और साक्ष्य लिए निर्णय दे दिया।	हाँ। आदेश 17 नियम 2 व्य.प्र.स. ही लागू होगा।
(c)जब प्रतिवादी को कुछ करने हेतु कहा गया था, उसने वह नहीं किया, न ही सुनवाई के समय उपस्थित हुआ, और उसी दिन न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत एकपक्षीय साक्ष्य दर्ज कर लिए।	हाँ। आदेश 17 नियम 2 व्य.प्र.स. ही लागू होगा।
(d) जब प्रतिवादी को कुछ करने हेतु कहा गया था, उसने वह नहीं किया, न ही सुनवाई के समय उपस्थित हुआ, और न्यायालय ने वादी के पक्ष में एकपक्षीय साक्ष्य दर्ज करने हेतु सुनवाई स्थगित कर दी और अगली तिथि पर एकपक्षीय साक्ष्य लेकर उनके विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित कर दी।	हाँ। आदेश 17 नियम 2 व्य.प्र.स. ही लागू होगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. इसके विपरीत, श्री बी. पी. शर्मा, अपीलकर्ता/वादी की ओर से अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि शब्दकोशीय अर्थ के अनुसार "दिन" का अर्थ 24 घंटे की अवधि से है, और "स्थगन दिवस" का अर्थ वह दिन होता है जिस दिन कोई संस्था, जैसे कि न्यायालय या विधानमंडल, स्थगित होती है। वर्तमान मामले में यह नहीं कहा जा सकता कि दिनांक 4-1-2005 को वादी उपस्थित नहीं था। अधिकतम यह कहा जा सकता है कि दिन के प्रथम भाग में वादी उपस्थित नहीं था, और साक्षियों की उपस्थिति हेतु दिन के द्वितीय भाग अर्थात दोपहर 2.30 बजे के बाद स्थगन का आवेदन किया गया था। इसके पश्चात प्रतिवादी क्रमांक 3 एवं 4 द्वारा आदेश 14 नियम 5 व्य.प्र.स. के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया। चूंकि उक्त आवेदन पर वादी के अधिवक्ता ने वादी के निर्देशानुसार बहस की, अतः उसने केवल स्थगन का अनुरोध ही नहीं किया बल्कि प्रतिवादी के आवेदन पर बहस में भी भाग लिया, जो कि आदेश 3 व्य.प्र.स. के अंतर्गत वादी की "उपस्थिति" मानी जाएगी। अतः वाद का ख़ारिज किया जाना आदेश 17 नियम 3 के अंतर्गत वादी की उपस्थिति में हुआ, न कि आदेश 17 नियम 2 व्य.प्र.स. के अंतर्गत। इस कारण अपील पोषणीय है, और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के *रामा राव* मामले (पूर्वत) में प्रतिपादित सिद्धांत वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता।

5. मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने तथा न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश-पत्रिका का अवलोकन किया है।

6. आदेश 17 नियम 2 एवं 3 व्य.प्र.स. की व्याप्ति और परिधि का निर्धारण इस अपील में किया जाना आवश्यक है। आदेश 17 नियम 2 एवं 3 का पाठ इस प्रकार है —

"2. यदि पक्षकार नियत दिन पर उपसंजात होने में असफल रहते हैं तो प्रक्रिया: वाद की सुनवाई जिस दिन के लिए स्थगित हुई है यदि उस दिन पक्षकार या उनमें से कोई उपमंजात होने में असफल रहते हैं तो न्यायालय आदेश 9 द्वारा उस निमित्त निर्दिष्ट डंगों में से एक से बाद का निपटारा करने के लिए अग्रसर हो सकेगा या ऐसा अन्य आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

स्पष्टीकरण:जहां किसी पक्षकार का साध्य या साध्य का पर्याप्त भाग पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है और ऐसा पक्षकार किसी ऐसे दिन जिस दिन के लिए वाद की सुनवाई स्थगित की गई है उपसंजात होने में असफल रहता है वहां न्यायालय स्वविवेकानुसार उस मामले में इस प्रकार अग्रसर हो सकेगा मानो ऐसा पक्षकार उपस्थित हो।

3. पक्षकारों में से किसी पक्षकार के साध्य, आदि पेश करने में असफल रहने पर भी न्यायालय आगे कार्यवाही कर सकेगा-जहां बाद का कोई ऐसा पक्षकार जिसे समय अनुदत्त किया गया है, अपना साक्ष्य पेश करने में या अपने साथियों को हाजिर कराने में या बाद की आगे प्रगति के लिए आवश्यक कोई ऐसा अन्य कार्य करने में जिसके लिए समय अनुज्ञात किया गया है. असफल रहता है वहां न्यायालय ऐसे व्यतिक्रम के होते हुए भी,-

(क) यदि पक्षकार, उपस्थित हों तो वाद को तत्क्षण विनिश्चित करने के लिए अग्रसर हो सकेगा, अथवा

(ख) यदि पक्षकार या उनमें से कोई अनुपस्थित हों तो नियम 2 के अधीन कार्यवाही कर सकेगा।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. आदेश 17 नियम 2 व्य.प्र.स. न्यायालय को यह अधिकार देता है कि यदि किसी भी दिन, जिस दिन वाद की सुनवाई स्थगित की गई हो, पक्षकार या उनमें से कोई अनुपस्थित हो जाए, तो न्यायालय आदेश 9 में निर्दिष्ट किसी भी सीति से वाद का निराकरण कर सकता है या जैसा उसे उचित लगे वैसा अन्य आदेश पारित कर सकता है।
इसका **स्पष्टीकरण** एक अपवाद के रूप में है, जो न्यायालय को यह विवेकाधिकार प्रदान करता है कि जब किसी पक्ष का साक्ष्य या उसके साक्ष्य का पर्याप्त भाग पहले से दर्ज हो चुका हो और वह पक्ष अनुपस्थित हो तो न्यायालय यह मान सकता है कि वह पक्ष उपस्थित था।

आदेश 9 नियम 8 व्य.प्र.स. के अनुसार, यदि प्रतिवादी उपस्थित हो और वादी सुनवाई के समय उपस्थित न हो, तो न्यायालय वाद को ख़ारिज करने का आदेश पारित कर देगा, जब तक कि प्रतिवादी वादी के दावे को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार न करे। यदि वह दावे का कोई भाग स्वीकार करता है, तो उस भाग के संबंध में डिक्री पारित की जाएगी और शेष दावे के संबंध में वाद निरस्त किया जाएगा।

नियम 2 में प्रयुक्त वाक्यांश "जैसा उचित समझे वैसा आदेश पारित करेगा का अर्थ यह है कि न्यायालय आदेश 9 में दिए गए किसी भी प्रकार से निपटारा कर सकता है।
आदेश 17 नियम 3(ख) के अनुसार, जब कोई पक्ष अनुपस्थित हो, तो न्यायालय को नियम 2 के अंतर्गत ही कार्यवाही करनी होती है। यदि आदेश 17 नियम 3(ख) को आदेश 17 नियम 2 के स्पष्टीकरण के साथ पढ़ा

जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि यह स्पष्टीकरण न्यायालय को यह विवेक देता है कि वह अनुपस्थित पक्ष की स्थिति में भी नियम 3 के अंतर्गत वाद की सुनवाई आगे बढ़ा सकता है, किन्तु यह केवल तब संभव है जब अनुपस्थित पक्ष ने पहले ही साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया हो या उसका कोई महत्वपूर्ण भाग दर्ज हो चुका हो। यदि ऐसी स्थिति नहीं है, तो न्यायालय को नियम 2 के अनुसार ही आगे बढ़ना होगा। नियम 2 और नियम 3 भिन्न परिस्थितियों में लागू होते हैं। नियम 2 तब लागू होता है जब स्थगन सामान्य रूप से दिया गया हो, किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं। दूसरी ओर, नियम 3 तब लागू होता है जब स्थगन किसी विशेष कार्य (जैसे साक्ष्य प्रस्तुत करना आदि) के लिए दिया गया हो।नियम 2 वाद के निपटारे के लिए निर्दिष्ट तरीकों में से किसी एक के अनुसार आदेश देने की बात करता है, जबकि नियम 3 न्यायालय को वाद का तत्क्षण निर्णय देने का अधिकार देता है। दोनों नियमों के बीच मूल अंतर यह है कि नियम 2 तब लागू होता है जब कोई पक्ष सुनवाई के समय अनुपस्थित हो, जबकि नियम 3 तब लागू होता है जब पक्ष उपस्थित हो परंतु न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट कार्य करने में असफल रहा हो। नियम 2 के स्पष्टीकरण और नियम 3 का संयुक्त प्रभाव यह है कि न्यायालय को विवेकाधिकार प्रदान किया गया है। नियम 2 का स्पष्टीकरण एक *काल्पनिक उपस्थिति* के रूप में है, जिससे कुछ परिस्थितियों में अनुपस्थित पक्ष को उपस्थित माना जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य वाद के निपटारे हेतु पर्याप्त है और न्यायालय वाद का निपटारा कर सकता है। न्यायालय, जब स्पष्टीकरण के अंतर्गत कार्य करता है, तो वह तभी ऐसा करेगा जब उसे प्रतीत हो कि वाद का निपटारा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर संभव है। अतः "जैसा उचित समझे वैसा आदेश पारित करे" और नियम 2 के स्पष्टीकरण को संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि अभिलेख पर साक्ष्य पर्याप्त है तो न्यायालय वाद का निपटारा कर सकता है, अन्यथा वाद को आदेश 9 व्य.प्र.स. के अंतर्गत निरस्त करना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. नियम 2 में प्रयुक्त शब्द "दिन" का अर्थ उस दिन से है जिस दिन वाद की सुनवाई स्थगित की गई है। वर्तमान मामले में यह निर्विवाद है कि वादी और उसके साक्षी अनुपस्थित थे। वादी के अधिवक्ता ने उपस्थिति दर्ज कराई और स्थगन का अनुरोध किया, जो अस्वीकार कर दिया गया। पक्षकारों का साक्ष्य प्रारंभ होना अभी बाकी था, अतः नियम 2 के स्पष्टीकरण के अंतर्गत दी गई कल्पना इस मामले में लागू नहीं होती। आदेश 17 नियम 2 व्य.प्र.स. न्यायालय को यह अधिकार देता है कि जब किसी दिन वाद की सुनवाई स्थगित की गई हो और कोई पक्ष अनुपस्थित हो, तो न्यायालय वाद को आदेश 9 व्य.प्र.स. के अंतर्गत निरस्त कर सकता है। आदेश 17 नियम 3 व्य.प्र.स. के अंतर्गत, यदि वाद की सुनवाई साक्ष्य के लिए स्थगित की गई हो और उसी दिन वादी तथा उसके साक्षी अनुपस्थित हों, तो भी न्यायालय को आदेश 17 नियम 2 व्य.प्र.स. के अंतर्गत ही कार्यवाही करनी होगी।

9. आदेश 3 व्य.प्र.स. अधिवक्ता को किसी पक्षकार की ओर से पैरवी करने का अधिकार देता है। परंतु वह किसी पक्षकार की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकता, अतः आदेश 17 नियम 3 के प्रयोजन के लिए अधिवक्ता की उपस्थिति को पक्षकार की उपस्थिति नहीं माना जा सकता। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि चूँकि अधिवक्ता उपस्थित था और एक आवेदन पर बहस भी की, अतः उसकी उपस्थिति वादी की उपस्थिति मानी जाएगी और वाद का ख़ारिज किया आदेश 17 नियम 2 व्य.प्र.स. के अंतर्गत नहीं बल्कि आदेश 17 नियम 3(अ) व्य.प्र.स. के अंतर्गत हुआ, जिससे वह अपील योग्य हो जाता है।

10. लगभग समान तथ्यों पर सर्वोच्च न्यायालय ने *मोहनदास एवं अन्य बनाम घीसिया बाई एवं अन्य* (ए.आई.आर 2002 एस.सी 2436) के मामले में विचार किया था। उस मामले में जब वाद साक्ष्य हेतु नियत था, तब वादी/अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने अल्प स्थगन का आवेदन किया, जिसे नकार दिया गया। इसके पश्चात वादी के अधिवक्ता ने पुनः आदेश 17 नियम 1 व्य.प्र.स. के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया कि वादी गंभीर रूप से बीमार है, अतः स्थगन प्रदान किया जाए। उस आवेदन को भी अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद न्यायालय ने वाद को आदेश 17 नियम 3 व्य.प्र.स. के अंतर्गत निरस्त कर दिया। उसके विरुद्ध अपील दायर की गई, और सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए मामला पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित दिया कि आदेश 17 नियम 3 नहीं बल्कि आदेश 17 नियम 2 व्य.प्र.स. लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के अनुच्छेद 3 में यह कहा —

"वर्तमान मामले में हम पाते हैं कि न तो वादी/अपीलकर्ता और न ही उसके साक्षी दिनांक 7 मई 1994 को उपस्थित थे। अतः वाद को आदेश 17 नियम 2 के अंतर्गत निरस्त किया जाना चाहिए था। यहां तक कि नियम 3 स्वयं यह प्रावधान करता है कि यदि पक्षकार या उनमें से कोई अनुपस्थित हो, तो न्यायालय को आदेश 17 नियम 2 के अंतर्गत वाद का निपटारा करना होगा। इस विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, हम यह मानते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण था और उसे निरस्त किया जाना चाहिए। अतः हम अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करते हैं और मामले को न्यायालय में विधि के अनुसार निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित करते"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपर्युक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के ***रामा राव*** मामले (पूर्वत) के निर्णय, जिससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ, और इस तथ्य के आलोक में कि वादी एवं उनके अधिवक्ता उपर्युक्त रूप से अनुपस्थित थे, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को आदेश 17 नियम 2 व्य.प्र.स. के अंतर्गत निरस्त किया है, न कि आदेश 17 नियम 3(अ) के अंतर्गत। अतः ऐसा आदेश अपील योग्य नहीं है।

11. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में, इस न्यायालय के विचारानुसार यह अपील पोषणीय नहीं है और इसे निरस्त किया जाता है। परंतु यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि वादी/अपीलकर्ता चाहे तो उसे आदेश 9 व्य.प्र.स. के अंतर्गत उचित विधिक उपचार प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी। यदि ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो अधीनस्थ न्यायालय परिसीमा के प्रश्न पर विचार करेगा और यह ध्यान में रखेगा कि अपीलकर्ता/वादी उक्त आवेदन प्रस्तुत करने के बजाय वर्तमान अपील का अनुसरण कर रहा था।

सही/-

(एन. के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Aman Ansari, Advocate.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur